

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
141/15	53 R.M.	लापकगा	छबड़ा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
शामजी		बनाम	पाना वाई

वकील :- श्री शिव शर्मा आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
22/15	वकील वाई द्वारा एक आदेश अंतर्गत धारा 53 R.M. में विकल्प प्रगतिवादी को न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता का प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार कर पाना वाई प्रगतिवादी का तलय कर प्रकरण विनांक 6/16 को पेश है।	
6/1/16	आज पीठारीन अधिकारी के दोरे / अवकाश पर होन के कारण पत्रावली सर्वव्यवस्था स्थिति में दिनांक 2/2/16 को पेश है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा / बारां	1 ता 6 वा 9
9/2/16	वकील वादी व प. प्रतिवादी 1 ता 6 के समक्ष वाद तामील बखल गये प्रतिवादी 1 ता 5 वा 3 रू. रू. रू. उभरे वदने से उक्त बखल बकाया वादी व गपी, वकील वादी द्वारा साक्ष्य वादी शामजी मुंडी वाई. पाना वाई, के साक्ष्य पत्र पेश किए प्रकरण वाद्य साक्ष्य वादी विनांक 9/2/16 को पेश है।	Rh 11-1-16
9/2/2016	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित रहे, वकील वादी द्वारा एक त्वाग के बखल से इततेपेज पेश किए जो शामिल जाइल हो, वकील वादी का कलन रहे, प्रकरण त्वाग धारा 53 R.M. अंतर्गत पेश किए है, वदम सुनकर शिष्ट निर्णय प्रदान की जाए करे, शील वाद पर वकील वादी की बहस सुनी गयी. वदम के दौरान वकील वादी ने वाद में शामिल सुबब विन्दुओं को विरन्तर.	

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

27/21

आज पीठ तीन अजिमासों के जज्य काल में
दिलीप सिंह के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक- 6/9/21 को पेश हो।

[Signature]
उपस्थान अधिकारी
जज (आर),

~~पत्रावली~~
~~मेके डी अपकी~~
~~नवी-वाहारे डी~~
~~Not Press~~
[Signature]
6/9/21

6/21

पत्रावली CoVID-19 के कारण पूर्ववत् स्थिति में
पेश हुई है। वक्तुलगर फरीकेत उपस्थित है। वकील
प्राप्ती वतमान में कोई कार्यवाही नहीं करते हैं परंतु
पूर्व में इस न्यायालय द्वारा प्रथमिक डिफेंडि जारी की
गई है। जिसका विभाजन प्रत्येक तहसीलदार इस
से निजवाफ जाना अपेक्षित है। नए विभाजन प्रत्येक
पत्रावली दिनांक 27/10/21 को पेश हो।

30/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
शिविर.....पाली.....पर पत्रावली पेश नहीं
हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित।
कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत् पत्रावली
न्यायालय में दिनांक.. 23/3/22
को पेश हो

23/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ती द्वारा प्रकरण में
दिनांक 6/9/21 को Not Press किया हुआ है प्रकरण
में आज कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। प्रकरण में
कार्यवाही इसी स्तर पर हाफ की जाती है
पत्रावली फेशल सुनार सुनार दारिल वपतर

[Signature]
उपस्थान अधिकारी
उपस्थान अधिकारी (जज)